

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग

प्रयागराज।

सं. 797-E/Mech./JHS/WS/MLR/Option/Part-1

दिनांक 07.07.2022

मण्डल रेल प्रबंधक / कार्मिक
उत्तर मध्य रेलवे,
प्रयागराज एवं झांसी।

विषय: सीएमएलआर कारखाना उत्तर मध्य रेलवे, झांसी में हेल्पर, जीपी-1800 (लेवल-1) के पद की रिक्तियों को निम्नतम वरीयता में आप्शन आधार पर स्थानान्तरण से भरने के संबंध में।

संदर्भ:- (1) मुख्य कारखाना प्रबंधक / सीएमएलआर कार. / झांसी का पत्र सं. 415-P/CMLR/JHS/Helper Promotion दिनांक 06.03.2021 एवं 17.07.2021

(2) इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 797-E/Mech./JHS/WS/MLR/Option/Part-1 दिनांक 30.08.2021 एवं दिनांक 08.12.2021

विषयागत प्रकरण में मुख्य कारखाना प्रबंधक / सीएमएलआर कार. / झांसी का पत्र सं. 415-P/CMLR/JHS/Helper Promotion दिनांक 06.03.2021 एवं दिनांक 17.07.2021 द्वारा कोच सीएमएलआर कार. / झांसी में ग्रुप 'डी' लेवल-01 (ग्रेड पे-1800/-) में स्वीकृत 41 पद में से 30 रिक्त पदों को CMLRW/JHS में कार्य विस्तार एवं सीमित मैनपावर को देखते हुये RRC-ALD से लेवल-1 ग्रेड पे-1800/- का पैनाल उपलब्ध न होने की स्थिति में उत्तर मध्य रेलवे के सभी मण्डलों / यूनिटों से इच्छुक ग्रुप 'डी' लेवल-01 (ग्रेड पे-1800/-) में कार्यरत कर्मचारियों से स्वयं के अनुरोध पर निम्नतम वरीयता पर विकल्प आधार स्थानान्तरण हेतु आवेदन मांग गये थे।

तदनुसार प्राप्त आवेदनों की अधिसूचना दिनांक 30.08.2021 एवं दिनांक 08.12.2021 में जारी शर्तों के अधीन स्कुटनी उपरान्त कुल 09 कर्मचारियों के आवेदन पात्र पाए गए थे। जिसमें से अधिसूचना में मांगे गये शैक्षिक योग्यता अनुसार 08 कर्मचारी चयनित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त श्री हेमेश कुमार, हेल्पर, कार्यरत अधीन एस.एस.ई. / सिंग / वर्कर्स / झांसी द्वारा भरे गये आवेदन में तकनीकी शैक्षिक योग्यता दर्ज न होने के कारण चयन नहीं किया गया है। अतः निम्नलिखित चयनित 08 कर्मचारियों का वरीयतानुसार हेल्पर, जी.पी.-1800, लेवल-1 में निम्नतम वरीयता पर स्थानान्तरण आदेश जारी किया जा रहा है:-

SN	Name	Father's Name	Cat.	Design.	Level	Deptt.	Present Workplace	Division / Unit
1	Harkishan Singh Rajpoot	Rajpal Singh Rajpoot	OBC	Helper	1	S&T	AIT JN SSE/SIG/ORAI	JHS
2	Kuldeep Kumar	Virendra Kumar	OBC	Helper	1	S&T	SSE/SIG/Works/JHS	JHS
3	Anil Kumar	Lt. Jugal Kishore Rai	OBC	Helper	1	Mech	Gwalior C&W	JHS
4	Brajesh Kumar	Indrajeet Singh	OBC	Helper	1	C&W	SSE/ADMN/C&W/JHS	JHS
5	Pintu Kumar	Surendra Singh	UR	TM-IV	1	Engg	SSE/P Way/JUH	JHS
6	Neeraj Kumar	Ganesh Prasad	OBC	Helper	1	C&W	SSE/GMC/YD	PRYJ
7	Mohan Singh Parihar	Lt. Bhagwat Singh Parihar	SC	TM-IV	1	Engg	Dy CE(C)/GWL	Dy. CE/C/ GWL
8	Brajendra Singh	Bheekam Singh	SC	TM-IV	1	Engg	SSE/P Way/ORAI (JHS) /NCR	JHS

नोट:- मद सं. 07 पर दर्ज कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये गये तकनीकल अर्हता बी.ई. / मैक एवं शैक्षिक प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया था, इसलिये सक्षम अधिकारी द्वारा श्री मोहन सिंह परिहार, TM-IV, कार्यरत अधीन उप मुइंजी. / सी / ग्वालियर को नियमानुसार आवेदन पत्र में दर्शाये गये तकनीकल अर्हता प्रमाण पत्र संबंधित मंडल द्वारा सत्यापित करारक प्रस्तुत करने की शर्त पर ही आप्शन पर स्थानान्तरण एवं पोस्टिंग किया जायेगा।

2021/10/11

(2)

उक्त के साथ यह सूची पूर्णतः कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं फार्म में दर्ज विवरण अनुसार तैयार की गयी है। यदि आवेदन में कोई कोई तथ्य छिपाया गया गलत प्रस्तुत किया होगा तो कार्यमुक्त करने से पहले इस कार्यालय को सूचित करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त सभी कर्मचारी ए-3 मेडिकल कैटेगरी में फिट हैं।

कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)1-2001/TR/16 dt. 21/11/2001 में जारी निम्न-दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:-

- (1) The memorandum/order sparing the employee should have the photographs of the employee pasted on it duly attested in a manner that the signature of the releasing official and the rubberstamp below that appear partially on the photograph and partially on the paper out side the photograph.
- (2) The sparing memo should have also the signature of the transferred employee and his left thumb impression of which should be duly attested by the officer signing the memo/order with his name and designation appearing below the signature.
- (3) Their Service book/Leave A/C/LPC duly completed in all respect should also be sent directly to respective Division/Unit/Railway under the intimation to this office.
- (4) Genuiness verification of the case may please done at divisional/Railway level before posting/Joining of the said employees.
- (5) If they do not fulfill the qualification of the prescribed medical category in the factory, then they will have to compulsorily get the medical examination of the prescribed medical category for the factory, otherwise their transfer will be cancelled.

उपरोक्त शर्तों के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए कर्मचारियों को CWM/CMLR/WS/JHS कार्यालय में रिपोर्ट करने हेतु कार्यमुक्त करने की व्यवस्था करें। कर्मचारियों के पदस्थापना आदेश CWM/CMLR/WS/JHS कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(आदेश कुमार मिश्र)
सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक
o/c मजुमदार
7/11/22

प्रतिलिपि: कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख मुख्य यॉत्रिक इंजीनियर/उमरे, प्रयागराज।
2. मुख्य कारखाना इंजीनियर/उमरे/प्रयागराज।
3. मुख्य कारखाना प्रबंधक/सीएमएलआर/कार./झांसी।
4. मण्डल यॉत्रिक अभियन्ता/स./मा./उमरे, झांसी।
5. उप मुख्य इंजीनियर/नि0/ग्वालियर।
6. वरिष्ठ खण्ड अभि0(कै0वै0)/उमरे/कानपुर।
7. सहायक मंडल यॉत्रिक अभियन्ता/उमरे/ग्वालियर।
8. वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता/कार्य/उमरे/झांसी।
9. सहा. मंडल संकेत एवं दूर संचार इंजी./उमरे/उरई।
10. सहा. मंडल संकेत एवं दूर संचार इंजी./उमरे/उरई।
11. सहायक कार्मिक अधिकारी/कोच एम0एल0आर0 कारखाना झांसी।
12. उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्या., उमरे, प्रयागराज।
13. उप मुख्य इंजीनियर/टीएमसी/लाईन/झांसी।
14. वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय, उमरे, प्रयागराज, झांसी एवं आगरा।

8/11/22
16